



थाना रोजा शाहजहांपुर पुलिस



प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक- 05.02.2025

नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले वांछित एक अन्य अभियुक्त को थाना रोजा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, जनपद शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर श्री संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रयांक जैन के कुशल प्रयवेक्षण व निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के कुशल नेतृत्व में थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 70/25 धारा 70(2),115(2),126(2), 351(3) बीएनएस, 5(जी)/6 पाक्सो एक्ट व 66(E)/67 IT Act में वांछित शेष अभियुक्त कुंवरपाल पुत्र छेदालाल नि0 ग्राम फकरगंज, थाना रोजा, जनपद शाहजहांपुर के सम्बन्ध में मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 05.02.2025 को समय 13.50 बजे अटसलिया पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कुंवरपाल उपरोक्त के पास से घटना में प्रयुक्त किया गया **एक अदद मोबाईल बरामद हुआ**। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 03.02.2025 को वादी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्तगण 1. तसब्बर पुत्र अफजल 2. लंकुश पुत्र शौकीन निवासीगण ग्राम पडरा सिकन्दरपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहांपुर व 3. कुंवर पाल पुत्र छेदालाल, नि0 ग्राम फकरगंज, थाना रोजा, जनपद शाहजहांपुर द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने तथा वीडियो वायरल करने के सम्बन्ध में दी गई तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 70/25 धारा 70(2),115(2),126(2), 351(3) बीएनएस,5(जी)/6 पाक्सो एक्ट व 66(E) IT Act पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में नामजद वांछित शेष अभियुक्त कुंवरपाल पुत्र छेदालाल नि0 ग्राम फकरगंज, थाना रोजा, जनपद शाहजहांपुर को आज दिनांक 05.02.2025 को समय 13.50 बजे अटसलिया पुल पर रोजा पुलिस को देख भागने लगा भागते समय गिर गया जिस कारण पैर में मामूली चोट आयी, जिस कारण रोजा पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त कुंवरपाल उपरोक्त के पास से घटना में प्रयुक्त किया गया **एक अदद मोबाईल बरामद हुआ**। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में शामिल दो अभियुक्तगणों को दिनांक 04.02.2025 को गिरफ्तार कर जिला कारागार, शाहजहांपुर भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. कुंवर पाल उम्र करीब 33 वर्ष पुत्र छेदालाल, नि0 ग्राम फकरगंज, थाना रोजा, जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग :-

1. मु0अ0सं0 70/25 धारा 70(2),115(2),126(2), 351(3) बीएनएस,5(जी)/6 पाक्सो एक्ट व 66(E)/67 IT Act

बरामदगी :-

1. एक अदद मोबाईल फोन(घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तारी का स्थान व समय :-

दिनांक 05.02.25 को समय 13.50 बजे अटसलिया पुल के नीचे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. उ०नि० प्रमोद कुमार
3. कां० 2123 राजेश कुमार
4. कां० 1813 ओम प्रकाश

गिरफ्तारी पूछताछ :-

पकड़े गये अभियुक्त से घटना के सम्बन्ध में पूछा गया तो अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 29.01.25 को हम तीनों लोग सुबह करीब गुर्री हाईवे के किनारे जा रहे थे कि तभी हमने देखा कि एक लड़की जंगल की ओर सुनसान रास्ते पर जा रही थी, जब वह जंगल में पहुँच गई, तब उसे जंगल में अकेला देखकर हमारी नियत खराब हो गई और हम तीनों उस लड़की के पीछे पीछे चल दिये तथा उस लड़की को पकड़ लिया और बारी बारी से तसब्बर तथा लंकुश उर्फ रूद्र प्रताप ने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा लंकुश उर्फ रूद्र प्रताप ने अपना मोबाईल फोन मुझे दे दिया और वीडियो बनाने के लिए कहा, तब मैंने छोटी सी एक वीडियो बना ली थी ताकि वह लड़की कहीं इसका जिक्र न करे। घटना के बाद उस लड़की को वहीं छोड़कर हम लोग अपने अपने घर चले गये थे। जब हमें पता लगा कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे हैं तभी मैंने इस फोन को तोड़ दिया था ताकि इस फोन से कुछ न मिल सके।

अपराधिक इतिहास :-

➤ कुंवर पाल पुत्र छेदालाल, नि० ग्राम फकरगंज, थाना रोजा, जनपद शाहजहांपुर

1. मु०अ०सं० 70/25 धारा 70(2),115(2),126(2),351(3) बीएनएस, 5(जी)/6 पाक्सो एक्ट व 66 (E)/67 IT Act